खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश
खेल भवन–लखनऊ।

संख्याः 3497/ लक्ष्मण / रानी ल0बाई0पुर0 / 2022–23 दिनांकः 07 दिसम्बर, 2022

सेवा में,

अवै0 सचिव,
समस्त मान्यता / सम्बद्धता प्राप्त
प्रदेशीय क्रीड़ा संघ, उत्तर प्रदेश।

विषयः **लक्ष्मण / रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020–21 व 2021–22 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के आधार पर **वर्ष 2020–21 व 2021–22** के लिए सामान्य के लिए तथा सामान्य खिलाड़ियों की भांति शासनादेश सं0–1617 / बयालिस–2020–135(विविध) / 2013 दिनांकः 30.09.2020 के द्वारा दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए भी लक्ष्मण / रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार (सामान्य वर्ग एवं वेटरन वर्ग) से सम्मानित किया जाना है।

उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित पात्रता रखने वाले पुरूष / महिला खिलाड़ियों के नाम के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रारूप पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी की उपलब्धि के विवरण के सापेक्ष खेल प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करते हुए **दिनांक : 26.12.2022** तक खेल निदेशालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1– खिलाड़ी को उ0प्र0 का वास्तविक मूल निवासी (Bonafide resident) होना चाहिए।

2– खिलाड़ी कम से कम लगातार 03 बार वर्ष 2020–21 के लिए (वर्ष 2018–19, 2019–20 व 2020–21) तथा वर्ष 2021–22 के लिए (वर्ष 2019–20, 2020–21 व 2021–22) प्रदेशीय सीनियर टीम का सदस्य रहा हो और राष्ट्रीय खेल / राष्ट्रीय सीनियर चैम्पियनशिप में भाग लिया हो और साथ ही उस वर्ष में जिसके लिए पुरस्कृत किये जाने की सिफारिश की जाती है, उस वर्ष में उसके द्वारा पदक अर्जित किया गया हो।

3– यदि कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय सीनियर चैम्पियनशिप में प्रतिभाग किया हो तथा वह शासनादेश में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं यथा–ओलम्पिक गेम्स, विश्व चैम्पियनशिप / विश्व कप (04वर्ष के अन्तराल में आयोजित होने पर) एशियन गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप एवं कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप (04वर्ष में 01 बार आयोजित होने वाली), सैफ गेम्स में प्रतिभाग करता है, तो उसे भी पात्र माना जायेगा।

4– खिलाड़ी को अपने आवेदन के साथ शपथ–पत्र (डोप टेस्ट) देना होगा कि वह कभी किसी प्रतियेागिता / चैम्पियनशिप व खेल आयोजन में मादक पदार्थों के सेवन में भागीदार नहीं रहा हैं और न ही इस प्रकरण में उसे दोषी पाया गया है।

5– आवेदनकर्ता यह भी शपथ प्रस्तुत करेगें कि वह मा0 न्यायालय द्वारा किसी वाद में दोषी नहीं पाया गया है और न ही वह यौन उत्पीड़न से सम्बंधित किसी आरोप में दोषी पाये गये हैं।

6– उक्त पात्रता रखने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा पुरूष खिलाड़ी को लक्ष्मण पुरस्कार एवं महिला खिलाड़ी को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार में सम्मिलित 31 खेलों (तैराकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबाल, बाक्सिंग, कैनोइंग एण्ड केयाकिंग, साइकिलिंग, घुडसवारी, तलवारबाजी, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हैण्डबाल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो–खो, रोइंग, शूटिंग, टेबुल टेनिस, लानटेनिस, वालीवाल, भारोत्तोलन / बेस्टफिजिक, कुश्ती, ताइक्वान्डो, याचिंग, गोल्फ, क्रिकेट, साफ्ट टेनिस, कराटे व वुशू) में पुरूष / महिला खिलाड़ी को लक्ष्मण / रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित करेगी जिनके द्वारा सम्बन्धित खेल में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए प्रदेश एवं देश का गौरव बढ़ाया गया हो।

7– एक व्यक्ति को एक ही बार पुरस्कृत किया जायेगा।

8– पुरस्कार मरणोपरान्त भी दिया जा सकता हैं।

9– सरकार किसी भी व्यक्ति का नाम पुरस्कृत स्पोर्ट्समैन की सूची से निरस्त कर सकती है और उस दिशा में ऐसे व्यक्ति से उसको दी गई प्रतिमा तथा वर्तिलेख को वापस करने की अपेक्षा की जायेगी। इस प्रकार निरस्तता अन्तिम होगी और उसके विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

10– किसी सिफारिश के सम्बंध में किसी भी रूप में कन्वेसिंग (उपार्थना) करने से उस प्रविष्टि को अनर्ह (Disqualified) ठहराया जा सकेगा।

11– राष्ट्रीय सीनियर चैम्पियनशिप / राष्ट्रीय गेम्स में मात्र प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

लक्ष्मण / रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के वेटरन वर्ग के आवेदनकर्ताओं हेतु निर्धारित आयु सीमा 40 वर्ष हैं। वेटरन वर्ग में जिस वर्ष के लिएं आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष 01 अप्रैल को खिलाड़ी की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होने पर पात्रता मान्य होगी। वेटरन वर्ग में उपरोक्त निर्धारित खेलों में से किन्ही दो खेलों के ऐसे वृद्व (वेटरन) महिला / पुरूष खिलाड़ी को लक्ष्मण / रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, जिसके द्वारा सम्बंधित खेल

में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं (अंको हेतु निर्धारित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं) में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए प्रदेश एवं देश को गौरव बढ़ाया गया हो।

लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय खेल एवं राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिताओं हेतु अंकों का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

क.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितायें	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	प्रतिभाग करने पर
1	2	3	4	5	6
01.	ओलम्पिक गेम्स	60	55	50	25
02.	विश्व चैम्पियनशिप/विश्व कप (04 वर्ष के अन्तराल में आयोजित होने पर)	55	50	45	20
03.	एशियन गेम्स	50	45	40	15
04.	कामनवेल्थ गेम्स	50	45	40	15
05.	एशियन चैम्पियनशिप एवं कामनवेल्थ चैम्पिगनशिग (04वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली)	40	35	30	10
06.	सैफ गेम्स	15	12	10	05
07.	राष्ट्रीय खेल	08	07	06	---
08.	राष्ट्रीय सीनियर चैम्पियनशिप	07	06	05	---

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी से क्र0-1 से 06 तक उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को वरीयता प्रदान की जायेगी।

लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हेतु उपलब्धि के आधार पर खिलाड़ियों को अंक उपरोक्तानुसार अनुमन्य किया जायेगा। सर्वश्रेष्ठ अंकों के आधार पर खिलाड़ियों का चयन शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त आवेदन पत्रों के साथ खिलाड़ियों की दो फोटो एवं उनके खेल प्रमाण-पत्रों की संबंधित खेल संघ द्वारा प्रमाणित प्रतियाँ को संस्तुति उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के संलग्न विवरण के सम्बन्ध में अपना इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें कि संबंधित प्रतियोगिता मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता है। कृपया अपने खेल से संबंधित पात्र खिलाड़ियों के प्रस्ताव पूर्ण वांछित सूचनाओं सहित **विलम्बतम 26.12.2022 तक** खेल निदेशालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आवेदन पत्र पर सामान्य अथवा वेटरन किस वर्ग में आवेदन किया जा रहा है, का साफ-साफ उल्लेख किया जाना आवश्यक है। **उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।**

संलग्न - निर्धारित प्रारूप।

भवदीय

(डा0 आर0पी0 सिंह)
निदेशक, खेल

संख्या एवं दिनांक तदैव ::

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01- अपर मुख्य सचिव, खेल, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में।

02-- समस्त क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश सहित कि वे अपने मण्डल के पात्र खिलाड़ियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित प्रदेशीय खेल संघ की संस्तुति एवं वांछित औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए संबंधित प्रदेशीय खेल संघ के माध्यम से उपलब्ध करायें।

(डा0 आर0पी0 सिंह)
निदेशक, खेल